राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(01)न्याय/2026 जयपुर, दिनांक 22.06.2026

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा जिसकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

| क्र.सं. | जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम | अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम | बैठक का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | जिला एवं सेशन न्यायाधीश,जैसलमेर | अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, पोकरण | पोकरण |

साथ ही वर्तमान में कार्यरत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण का नाम परिवर्तित करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, पोकरण निर्धारित किया जाता है।

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

## RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/18/2026/..1304 Date: 21/07/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
   (Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The Concerned District & Sessions Judge.
3. The Concerned Court.
4. The Concerned Chief Judicial Magistrate.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics / Budget/ Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.

21/7/26

**REGISTRAR (RULES)**